कृषि विभाग
हिमाचल प्रदेश
सूक्ष्म सिंचाई योजना
आवेदन पत्र
(बिना मूल्य के)

कृषक की पासप
की फोटो र
Affix Passp
Photo of F

सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत ड्रिप (टपक) /छोटा स्प्रिंकलर/ सूक्ष्म स्प्रिंकलर (फव्वारा) / पोर्टेबल /दीर्घाकार स्प्रिंकलर सिंचाई इकाई स्थापित करने के लिए सहायता हेतु प्रार्थना पत्र

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु	
प्रार्थना पत्र संख्या :	आवेदन की तिथि:
	दस्तावेंजं जांचने की तिथि :
	प्रविष्टि–तिथि :

(कृषक द्वारा भरने हेतु)

1. सामान्य सूचना

पिता का नाम :____________________श्रेणी __________ (अनु.जनजाति /अनु.जाति/ वर्ग/ सामान्य श्रेणी)

पता: गांव :____________________,डाक0:____________________,तह0____________________ ____________________

पिन कोड;____________________, दूरभाष नं0. एस.टी.डी. कोड सहित____________________

मोबाईल नं0:____________________

आधार कार्ड नं0.:-____________________

पुरुष/स्त्री ____________________ शारीरिक अक्ष्मता (हां/नही)__________

2. बैंक खाता विवरण:

2.1 बैंक खाते में कृषक का नाम :____________________
2.2 खाता संख्या. ____________________
2.3 बैंक का नाम एवं शाखा का पता :____________________
2.4 आई.एफ.एस.सी.कोड ____________________

3. कृषक की कुल भूमि का विवरण

क.सं.	गांव का नाम	विकास खण्ड	खसरा नं0	हैक्टेयर	फसल
	कुल भूमि(हैक्ट.)				

4. पानी के स्त्रोतों का विवरण :- टैंक/उथला कुंआ/उथला नलकूप/लघु या मध्यम उठाऊ योजना :

क) पानी के स्त्रोत वाले खेत का खसरा नं0: ______________________

ख) वांछित इलैक्ट्रिक मोटर की हार्स पावर ____________ या डीजल /मिट्‌टी तेल चालित इन्जन की हार्स पावर ________

ग) पम्प हैड ____________ मीटरों में

घ) डिलीवरी हैड: ____________ (मीटरों में) पाईप का ब्यास. ____________

ड.)जल भण्डारण टैंक का निर्माण(लम्बाई xचौडाई x गहराई) मीटरों मे ....घनमीटर

(जल भण्डारण टैंक का निर्माण अभिसरण द्वारा राज्य योजना –लिफ्ट एवं बोर वैल सिंचाई योजना के लिए उपदान के अन्तर्गत किया जायेगा)

5. उपलब्ध स्त्रोत के जल की गुणवत्ता: अच्छा/खारा

6. इस आवेदन से पहले स्थापित की गई सूक्ष्म सिंचाई योजना का विवरण, यदि स्थापित की है :

क. सं.	खसरा नं.	क्षेत्र का विवरण जिसमें पहले सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित की है (हैक्ट)	स्थापित योजना की श्रेणी	सेवा प्रदायक कम्पनी का विवरण	इकाई स्थापित करने का वर्ष	प्राप्त की गई अनुदान राशि

7. अपेक्षित सूक्ष्म सिंचाई योजना का विवरण :

क. सं.	खसरा नं.	क्षेत्र का विवरण जिसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित की जानी है (हैक्ट)	अपेक्षित योजना की श्रेणी	दूरी (मी. x मी.)	फसल विवरण

8. चिन्हित सेवा प्रदायक कम्पनी : मै0 ______________________

9. मैं सेवा प्रदायक कम्पनी के साथ एग्रीमेन्ट के समय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु कुल स्वीकृत राशि ः 20 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान की राशि को पी0आई0ए0 या सम्बन्धित कम्पनी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रुप में ः के लिए सहमत हूं ।

10. यदि मै सूक्ष्म सिंचाई इकाई स्थापित करने हेतु नाली खनन/सिविल कार्य डिजाईन के अनुरुप स्वंय करता हूं किये गये कार्यों की अदायगी विभाग द्वारा मुझे की जाये या उसे मेरे 20 प्रतिशत भागिता में समायोजित किया ज । यदि नाली खनन/ सिविल कार्य सेवा प्रदायक कम्पनी द्वारा किये जाने की स्थिति में उस कार्य की अदाय कम्पनी को करने के लिये भी सहमत हूं ।

11. मैं योजना से सम्बन्धित निर्माण सामग्री को सडक से योजना स्थल तक पहुंचाने का खर्चा स्वंय वहन करने के ि सहमत हूं ।

12. मैं सेवा प्रदाता कम्पनी के मार्गदर्शनानुसार फिल्टर, फर्टीगेशन टैंक और हैडकन्ट्रोल इकाई बनाने के लिए प प्लेटफार्म सहित उनसे सम्बन्धित समी सिविल कार्य करने के लिए तैयार हू तथा उनके निर्माण पर आने वाला ः भी स्वंय वहन करूंगा/करूंगी ।

13. मैं पम्पिंग सयंत्र को चलाने के लिए उपयुक्त पम्प–यूनिट एवं प्रयाप्त मात्रा में बिजली अपने खर्च पर उपः करवाऊंगा/करवाऊंगी ।

14. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के निर्माण एवं उसके परिक्षण के समय स्वंय उपस्थित रहूंगा/रहूंगी अन्यथा किसी अन्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने व इस सन्दर्भ में रिपोर्ट हस्ताक्षर करने के लिए अधीकृत करूंगा/करूंगी ।

15. सूक्ष्म सिंचाई योजना के सफल परिक्षण के बाद मैं योजना को सेवा प्रदाता कम्पनी से अधीग्रहित करके इस संतुष्टि प्रमाण पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप जारी कर दूंगा/दूंगी ।

16. मैं सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को सुचारु रुप से चलाने और उसके रख रखाव हेतु नियमों का पूर्णतः पालन करुंगा/करुंगी ताकि योजना प्रभावी रुप से सफल हो सके ।

17. उपरोक्त योजना के सन्दर्भ में मै किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत/दावा या विपरीत परिस्थिति उ करुंगा/करुंगी और इस सन्दर्भ में सभी मतभेदों और झगडों को स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित विभाग/ अधिकारी / सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रदाता कम्पनी के साथ आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करुं ।

18. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनी पंसदिदा सेवा प्रदाता कम्पनी जिसे विभाग ने राजीव गान्धी सूक्ष्म सिंच के अन्तर्गत मनोनीत किया हो, द्वारा स्थापित करने के लिए सहमत हूं और उस सेवा प्रदाता कम्पनी सिंचाई योजना का खर्च प्रदान करने के लिए भी तैयार हूं ।

19. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना का आगामी दस वर्षों तक देखभाल करने के लिए सहमत हूं और इस अवधि में इ योजना को न तो बेचुंगा और न ही बदलूंगा । किसी भी उलंघन की स्थिति में मै प्रदत अनुदान राशि क खाते में वापिस करने हेतु वाध्य रहूंगा ।

20. मेरे किसी भी कृत्य द्वारा औजारों या उपकरणों को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान हेतू विभाग या र कम्पनी जिम्मेवार नहीं होंगे।

21. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के विषय में किसी भी प्रकार का धारणाअधिकार (lien)/ आरोप (charge) न करुंगा, और न ही योजना को आंशिक या पूर्ण रुप से हस्तांत्रित करुंगा ।

22. मैं राजीव गान्धी सूक्ष्म सिंचाई योजना के सन्दर्भ में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा अनुसरण करने को तैयार हूं ।

23. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले जल भण्डारण टैंक का निर्माण निर्धारित 12 अवधि में तथा लघु या मध्यम जल उठाऊ इकांई, उथले कुंए या उथले नलकूप का निर्माण निर्धारित 1 पूर्ण करने के लिए सहमत हूं ।

24 मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं सही हैं, तथा किसी भी सूचना के भ्रामव पर योजना हेतु विभाग से ली गई अनुदान राशि सरकार को वापिस करने हेतु वाध्य रहूंगा ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर नाम दिना

निम्नलिखित दस्तावेजों की सही प्रतिलिपि संलग्न की जाती है :–

1 राजस्व रिकार्ड (ततिमा व जमाबन्दी की प्रति सम्बन्धित पटवारी द्वारा जारी की गई) की मूल प्रति ।
2 राशन कार्ड की स्वंय सत्यापित प्रति ।
3 आधार कार्ड/पहचान प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित प्रति
4 बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (नाम व पूरा पता)।

3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः प्रति बूंद अधिक फसलः अन्य गतिविधियॉ	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू–मालिक हो, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।	क) सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ख)व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं जैसे डगवैल, पौण्ड, उथले बोर वैल एवं जल वहन पाईप इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए राज्य–मानदंण्डों के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है तथा शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।	आवेदन की कोई फीस नही है	क) सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के लिए लाभार्थियों / किसानों के आवेदन, पंचायत संकल्प, राजस्व रिकार्ड की नकल, जमाबंदी और ततिमा तथा अनापति प्रमाण पत्र इत्यादि ख) व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, जैसे कि जमाबंदी और ततिमा की प्रति, बैंक खाता की प्रति।	समीप के भू0 संरक्षण कृषि विकास अधिकारी / कनिष्ट अभियन्ता के कार्यालय या उप मण्डलीय भू0 संरक्षण अधिकारी को भेजे जा सकते हैं जन जातीय जिलों से संबंधित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ व केलांग के कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म